Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

सं. 34/2017- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-73/2017/वाक/पांच(125). – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (छठवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इमसें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,-

(i) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क). उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 1 अक्तूबर, 2017 से इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 44 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटीआईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (5) में, "या उपनियम (3)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपनियम (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(3) मूल नियमों में नियम 120 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"120क. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटीटीआरएएन-1 में इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है वह ऐसी घोषणा को एक बार पुनरीक्षित कर सकेगा और इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए प्ररूप जीएसटीटीआरएएन-1 में पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत करेगा ।";

(4) मूल नियमों में नियम 122 में, खंड (ख) में, "राज्य कर या केन्द्रीय कर आयुक्त" शब्दों के पश्चात्,"कम से कम एक वर्ष के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(5) मूल नियमों में, नियम 124,-

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) तकनीकी सदस्य को मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्तों और फायदों का संदाय किया जाएगा, जो उसे तब अनुज्ञेय हैं, जब वह भारत सरकार में समतुल्य समूह 'क' पद धारण कर रहा हो:

परंतु जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी का तकनीकी सदस्य के रूप में चयन किया जाता है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन को पेंशन की रकम से कम करके समतुल्य मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (4) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिए जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी ।";

(iii) उपनियम (5) में, पहले परंतुक के पश्चात् त्निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिए जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय तकनीकी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी ।";

(6) मूल नियमों के नियम 127 के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) प्रत्येक तिमाही के समापन की 10 तारीख तक परिषद को एक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।";

(7) मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह कि जहां मालों को किसी एक राज्य में अवस्थित प्रधान द्वारा किसी अन्य राज्य में अवस्थित जाब वर्कर को भेजा जाता है तो ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद प्रधान द्वारा किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां हस्तशिल्प मालों का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे धारा 24 के खंड (i)और खंड(ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है, ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" का वही अर्थ है जो उसका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 32/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 सितम्बर, 2017 जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 1158 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, में है ।";

(8) मूल नियमों में, 1 जुलाई, 2017 से, "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1" में,-

(i) क्रम संख्या 5 (क) में शीर्ष में, "धारा 140(1)" शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात् "धारा 140(4)(क) और धारा 140(9)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 7(क) में, सारणी में, क्रम संख्या 7(अ) में शीर्ष में, "बीजक" शब्द के पश्चात् "(प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) सहित)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) "पदनाम/प्रास्थिति" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुदेश :

1. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उपधारा (9) के निबंधनों में केन्द्रीय कर प्रत्यय ।

2. प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) का फायदा उठाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति शीर्ष "इनपुट" के अधीन सारणी-7क में प्रत्यय का फायदा लेने के अतिरिक्त "टीआरएएनएस3" को भी फाइल करेंगे ।";

(9) मूल नियमों में 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएसटीआर-4" में, क्रम संख्या 8 में प्रविष्टि 8ख (2) में "अंतरराज्यीय प्रदाय" शब्दों के स्थान पर "अंतराज्यिक प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(10) मूल नियमों में 30 अगस्त, 2017 से "प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01" के टिप्पणों में, टिप्पण-4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. प्रवेश बीजक के ब्यौरों को बीजक के स्थान पर वहां दर्ज किया जाएगा जहां पारेषण आयात से संबंधित है ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-10-73/2017/वाक/पांच(125). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-73/2017/वाक/पांच(125), दिनांक 15-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, 15th September 2017

NOTIFICATION
No. 34/2017-State Tax

No. F-10- 73/2017/CT/V (125). – In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3 –

(i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 orwho has applied for registration under sub-rule (1) of rule 8may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of October, 2017 by electronically filing an intimation in FORM GST CMP-02, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, before the said date and shall furnish the statement in FORM GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub - rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the said date:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in FORM GST TRAN-1 after the statement in FORM GST ITC-03 has been furnished.";

(ii) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure "or sub-rule (3)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (3A)" shall be inserted;

3. In the principal rules, after rule 120, the following rule shall be inserted, namely :-

"120A. Every registered person who has submitted a declaration electronically in FORM GST TRAN-1 within the time period specified in rule 117, rule 118, rule 119 and rule 120 may revise such declaration once and submit the revised declaration in FORM GST TRAN-1electronically on the common portal within the time period specified in the said rules or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.";

4. In the principal rules, in rule 122, in clause (b), after the words "Commissioners of State tax or central tax", the words "for at least one year" shall be inserted;

5. In the principal rules, in rule 124, -

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The Technical Member shall be paid a monthly salary and other allowances and benefits as are admissible to him when holding an equivalent Group 'A' post in the Government of India:

Provided that where a retired officer is selected as a Technical Member, he shall be paid a monthly salary equal to his last drawn salary reduced by the amount of pension in accordance with the recommendations of the Seventh Pay Commission, as accepted by the Central Government.";

(ii) in sub-rule (4), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided further that upon the recommendations of the Council and subject to an opportunity of being heard, the Central Government may terminate the appointment of the Chairman at any time.";

(iii) in sub-rule (5), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided further that upon the recommendations of the Council and subject to an opportunity of being heard, the Central Government may terminate the appointment of a Technical Member at any time.";

6. In the principal rules, in rule 127, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :-

"(iv) to furnish a performance report to the Council by the tenth of the close of each quarter.";

7. In the principal rules, in rule 138, in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely :-

"Provided that where goods are sent by a principal located in one State to a job-worker located in any other State, the e-way bill shall be generated by the principal irrespective of the value of the consignment;

Provided further that where handicraft goods are transported from one State to another by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation – For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 32/2017-Central Tax dated 15-09-2017 published in the Gazette vide number G.S.R 1158 (E)";

8. In the principal rules, with effect from the 1st day of July, 2017, in "FORM GST TRAN-1",

(i) in Serial No. 5(a), in the heading, after the words, figures and brackets "Section 140(1)", the words, figures, brackets and letter ", Section 140 (4) (a) and Section 140(9)" shall be inserted;

(ii) in Serial No. 7(a), in the table, in Serial No. 7A, in the heading, after the word "invoices", the words, brackets and letters "(including Credit Transfer Document (CTD))" shall be inserted;

(iii) after the words "Designation/Status", the following shall be inserted, namely :-
"Instructions :

1. Central Tax credit in terms of sub-section (9) of section 140 of the CGST Act, 2017 shall be availed in column 6 of table 5 (a).

2. Registered persons availing credit through Credit Transfer Document (CTD) shall also file Trans3 besides availing credit in table 7A under the heading "inputs.";

9. In the principal rules,with effect from the 1st day of July, 2017, in "FORM GSTR-4", in Serial No.8, in entry 8B(2), for the words "Intra-State Supplies", the words "Inter-State Supplies" shall be substituted;

10. In the principal rules, with effect from the 30th day of August, 2017, in the Notes to "FORM GST EWB-01", after Note 4, the following Note shall be inserted, namely :-

"5. The details of bill of entry shall be entered in place of invoice where the consignment pertains to an import."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.